(वाद संख्या–6140/18)

06.04.2021

नोटिस के बावजूद परिवादी, संतोष कुमार, अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थानान्तर्गत शेरपुर पंचायत में बिहार सरकार की भूमि पर बसे नई बस्ती, शहीदे–आजम भगत सिंह नगर, में आम लोगों से घर बनाने के लिए 30,000/– से लेकर 50,000/– रुपये तक की असमाजिक तत्वों द्वारा वसूली किये जाने पर उनलोगों द्वारा लोगों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने व महिलाओं को अपमानित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा इस निमित उन्हें छः बार स्मारित भी किया गया लेकिन उपरोक्त दोनों प्राधिकारों द्वारा वांछित प्रतिवेदन राज्य आयोग को समर्पित नहीं किया गया।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश के अनुपालन में बरती जा रही उदासीनता पर राज्य आयोग अपना क्षोभ व्यक्त करती है।

आज परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन आज न तो परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से अपनी अनुपस्थिति का कोई आधार ही दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अपने परिवाद–पत्र के संबंध में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाते हुए राज्य आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक